

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक : 21.06.2019

आदेश


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2019 के क्रम संख्या 27 के द्वारा डा. अमित कुमार जांगिड, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग) का जे के लोन अस्पताल, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरा, दौसा में किये गये स्थानान्तरण पर इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 251/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22.02.2019 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करावें एवं डा. जांगिड ने बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही सीधे ही जे के लोन अस्पताल, जयपुर में कार्यग्रहण किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। अतः उक्त कृत्य के लिए डा. जांगिड के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के अर्न्तगत कार्यवाही करावें।
4. अधीक्षक, जे के लोन अस्पताल, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल
9. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव